न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक)डीग

मु0 नम्बरः– 90 / 2010(जी.सी.एम.एस. 2010 / 00002)

पीठासीन अधिकारीः–श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. गौरी उर्फ गजरानी पुत्री लक्ष्मन जाति ब्राह्मण नि0 नगला खोह तहसील डीग हाल नि0 ग्राम कनवाडा तहसील कॉमा जिला डीग
2. मिथलेश पुत्री लक्ष्मन जाति ब्राह्मण नि0 नगला खोह तहसील डीग हाल नि0कनवाडा तहसील कांमा नावा0 व विलायत व रिफाकत श्रीमति रामदुलारी पत्नी लक्ष्मन माता खुद,

–वादीगण

बनाम

1. छज्जू पुत्र भिक्कन– मृतक
2. लक्ष्मन
3. घनश्याम

} पिस0 छज्जू जातियान ब्राह्मण नि0 नगला खोह तहसील डीग

–प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 20.01.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1165 / 0.28 वाके ग्राम खोह तहसील डीग में स्थित है तथा आराजी खसरा नम्बरान 1771 / 0.40, 1772 / 0.41, 1853 / 0.43, 1854 / 0.42, 3528 / 0.28, 3529 / 0.27, 3736 / 0.18, 3752 / 0.16, 3985 / 5037 / 0.16, 4136 / 4963 / 0.80, 1801 / 0.26, 1802 / 0.34, 1805 / 0.25, 1808 / 0.29, 3630 / 0.72, 3656 / 0.36, 3657 / 0.13, 3660 / 0.06, 4243 / 0.52, 4246 / 0.26, 4258 / 0.27, 4261 / 0.75, 4259 / 0.65, 3631 / 0.38, 3632 / 0.42, 3653 / 0.13, 3654 / 0.15, 3661 / 0.07, 3662 / 0.11, 3663 / 0.09, 4168 / 0.34, 4171 / 0.37, 4169 / 0.36, 4170 / 0.36, 4172 / 0.30, 7173 / 0.27, 4174 / 0.35, 4191 / 0.30, 4192 / 0.67, 4200 / 1.01, 1168 / 0.27, 1669 / 0.62, 1717 / 0.12, 1743 / 0.04, 1744 / 0.08, 1746 / 0.75, 3212 / 0.37, 3230 / 0.33, 3231 / 0.60, 3241 / 0.27, 3259 / 0.20, 3479 / 0.35, 3480 / 0.16, 3481 / 0.34, 3482 / 0.36, 4193 / 0.60, 4196 / 0.74, 3232 / 0.79, 3629 / 0.65, 3258 / 0.08 वाके ग्राम नगला खोह तहसील डीग में स्थित है। प्रति0 संख्या 1 वादीगण का खास बाबा है तथा प्रति0 संख्या 2 व 3 प्रति0 संख्या 1 के पुत्रगण है। जिनमें प्रति0 संख्या 2 वादीगण का पिता है। विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र में से आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

1165/0.28 वाके ग्राम नगला खोह तहसील डीग का हिस्सा 1/3 तथा आराजी खसरा नम्बरान 1771, 1772, 1854, 1853, 3528, 3529, 3736, 3752, 3985/5037, 4136/4963 का हि0 1/6 तथा खसरा नम्बर 1801, 1802 का हि0 1/6 तथा खसरा नम्बर 1808, 1805 का हि0 1/6 तथा खसरा नम्बर 3258 का हि0 1/4 तथा आराजी खसरा नम्बर 4169, 4170, 4172, 4173, 4174, 4191, 4192, 4200 का हि0 1/6 तथा खसरा नम्बर 1168, 1669, 1717, 1743, 1744, 1446, 3212, 3230, 3231, 3241, 3259, 3479, 3480, 3481, 3482, 4193, 4196 का हि0 1/3 व खसरा नम्बरान 3232, 3629, 3630, 3656, 3657, 3660, 4243, 4246, 4258, 4261 का हि0 1/3 व खसरा नम्बर 4259 का हि0 1/3 व खसरा नम्बरान 3631,3632, 3653, 3654,3661, 3662, 3663, 4168, 4171 का हि0 1/6 वाके नगला खोह तहसील डीग व प्रति0 संख्या 01 की खातेदारी की भूमि है जोकि वादनीगण की पैत्रिक एवं पुस्तैनी भूमि है जिसमें वादनीगण का जन्म से ही अधिकार एवं हित निहित है और वादनीगण का हिस्सा है और पैत्रिक एवं पुस्तैनी भूमि होने के कारण विवादित आराजी खसरा नम्बर 1165 वाके ग्राम नगला खोह तहसील डीग में स्थित आराजी खसरा नम्बरान 1771, 1772, 1853, 1854, 3528, 3529, 3736, 3752, 3985/5037, 4136/4963 में वादनीगण का हिस्सा 1/9 तथा खसरा नम्बर 1801 व 1802 में वादनीगण का हि0 1/9 आराजी खसरा नम्बर 3258 में वादनीगण का हि0 1/6 तथा आराजी खसरा नम्बरान 4169, 4170, 4172, 4173, 4174, 4191, 4192, 4200 में वादनीगण का हि0 1/9 तथा आराजी खसरा नम्बरान 1168, 1669, 1717, 1743, 1744, 1746, 3212, 3230, 3231, 3241, 3259, 3479, 3480, 3481, 3482, 4193, 4196 में वादिनीकरण का हिस्सा 2/9 तथा आराजी खसरा नम्बर 3232, 3629, 3630, 3656, 3657, 3660, 4243, 4246, 4258, 4261 में वादिनीगण का हि0 2/9 आराजी खसरा नम्बर 4259 में वादिनीगण का हि0 2/9 व खसरा नम्बरान 3631, 3632, 3653, 3654, 3661, 3662, 3663, 4168, 4171,में वादिनीगण का हि0 1/9 वाहिस्सा बरावर है जिस पर वादिनीगण वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है तथा वक्त मौके पर भी वादिनीगण का मुताविक हिस्सा विवादित आराजी नम्बरान में हिस्सा व कब्जा है। प्रति0 संख्या 01 का सालिम अंकित है पर कोई कब्जा काश्त किसी प्रकार सें नहीं है बल्कि केवल कर्ताखानदान होने व परिवार का मुखिया होने से प्रति0 संख्या 1 के नाम गलत इन्दाज काश्त चला आ रहा है जबकि विवादित आराजी वादिनीगण की पैत्रिक एवं पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादिनीगण का जन्म से ही अधिकार एवं हिस्सा है व हित निहित है। अतः निवेदन है कि वर्णित आराजी खसरा नम्बरान पर वादिनीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति0 संख्या 1 के नाम दर्ज इन्दाजात को कलमजन किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे तथा प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि वादिनीगण के हिस्सा आराजीयात में मजाहमत मदाखलत नहीं करें।

दावा वादिनीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 19.07.2010 को प्रति0 संख्या 03 की ओर से तथा प्रति0 संख्या 01 की ओर से दिनांक 26.05.2011को अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक 07.10.2011 को प्रति0 संख्या 02 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 21.09.2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 जा.दी. के पेश होने पर सुना जाकर न्यायहित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। दिनांक 09.11.2016 को जबाव दावा पेश किया गया। जबाव दावे में वर्णित है कि वादीगण का प्रति0 से कोई सरोकार नहीं है और ना ही वादियागण ग्राम नगला खाह में रहती है बल्कि उनकी माता रामदुलारी वादियागण के जन्म से ग्राम कनवाडा तहसील कांमा में रह रही है इसलिए वादियागण का आराजी मुत0 पर कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रति0 द्वारा कभी किसी प्रकार की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आराजी मुत0 पर वादियागण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और वादियागण ने आराजी मुत0 को अपनी ऑखों से आज तक नही देखा है कि आराजी मुत0 कौनसी है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

दावा व जबाव दावा की प्लाडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादीगण विवादित आरजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. आया वादीगण विवादित आराजी बावतः प्रति0 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने अधिकारी है?
3. आया वादीगण ने राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीग को पक्षकार नहीं बनाया गया है। दावा खारिज योग्य है?
4. दादरसी?

साक्ष्य वादिनीगण से वादिनी गौरी ने दिनांक 30.03.2017 को साक्ष्य हेतु साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये। दिनांक 28.4.2017को गौरी ने बयान दर्ज कराये गये। दिनांक 04.10.2017 को साक्ष्यवादी बंद की गई।

साक्ष्य प्रति0 में दिनांक 08.12.2017 को प्रति0 धनश्याम का शपथ पत्र पेश हुआ। जिस पर दिनांक 16.01.2018 की घनश्याम की जिरह पूर्ण हुई। साक्ष्य प्रति0 में दिनांक 05.02.2018 को नैम सिंह का शपथ पत्र पेश हुआ। दिनांक 20.04.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 जा.दी.पेश किया गया। जोकि दिनांक 02.12.19 को सुनवाई उपरांत खारिज किया गया। दिनांक 08.03.2022 को साक्ष्य प्रति0 पूर्ण होने पर पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत हुई।

दिनांक 24.12.2024 को उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में कथन किया कि गौरी एवं मिथलेश लक्ष्मन की पुत्रियां है जो प्रति0 संख्या 2 है। छाजू पुत्र भिक्कन वादीगण का दादा है। जो प्रति0 संख्या 2 व 3 का पिता है। वर्तमान में विवादित आराजी छाजू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ये जमीन पैत्रिक आराजी है। जिस पर हमारा जन्म से ही अधिकार है। वादिनी के हितों को प्रति0 संख्या 2 व 3 खुर्द बुर्द करना चाहते थे। हमने दावा पेश किया है,हमारे पिता ने हमारी मॉ रामदुलारी को बर्षो से छोडा हुआ है। हम हमारी मॉ के साथ रहती है। हम दोनों लडकियां है। इसलिए हमें स्वत्व घोषणा का दावा पेश किया है। अपने जबाव में इन्होंने पैत्रिक भूमि से इन्कार नहीं किया है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमेबादी चलने से हमारे अधिकार खत्म नहीं हो जाते। वैवाहिक प्रकरण हमारी मॉ लक्ष्मन के हिस्से में आई पैत्रिक भूमि से हमारा हिस्सा दिलवाया जावे।

प्रति0 अधिववक्ता ने बहस में कथन किया कि इन्होंने दावा 2010 में पेश किया है। बर्ष 2010 में ये जमीन छज्जू के नाम है जो वादीगण का बाबा है। बर्ष 2010 में छज्जू जीवित है। सैक्सन 8 विरासत से या पैत्रिक छज्जू के मरने के बाद जमीन इनके पिता के नाम आयेगी। छज्जू के पिता भिक्कन के नाम जमीन रही है। ऐसा कोई साक्ष्य आपने पेश नहीं किया है। गौरी व मिथलेश को 2005 में अधिकार मिले थे। छज्जू के नाम 2005 से पहले ही जमीन आ गई थी। यह को पार्सनर ही नही थी। आपको दावा करने का अधिकार ही नहीं था। छज्जू के जीवित रहते ही उनको अधिकार ही नहीं बनता है। सैक्सन 8 में विरासत में प्रथम वर्ग में नातिनीयों के नाम ही नहीं आते है। छज्जू के और लडका,लडकियॉ भी है,उनको आपने पक्षकार ही नही बनाया है इनके पीडब्ल्यू—1 के बयान देखें। इन्होने जमीन का मौका ही नहीं देखा है। यह स्वीकार तथ्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 कहती है यदि स्वीकार कर लिया तो साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। इनका दावा गलत तथ्यों पर आधारित है,खारिज किया जावे।

रिवीटल में वकील वादी ने कथन किया कि 2005 के एक्ट का प्रभाव भूतलक्षी है। लडकियों का कब्जा नहीं है। कब्जा हमारा हमारी मॉ के जरिये जन्मधिकार से है।

हमने वादी के वादपत्र,प्रतिवादी के जबाव दावे,पीडब्ल्यू—1 गौरी,डीडब्ल्यू—1 घनश्याम शर्मा,डीडब्ल्यू—2 नैमसिंह के बयान,जमाबन्दी सम्बत 2065—2068 प्रदर्श—1, छज्जू पुत्र भिक्कन 1/3 हिस्सो का खातेदार है। जमाबन्दी सम्बत 2064—2067 प्रदर्श—2,खसरा नम्बरान 1771, 1772, 1853, 1854, 3528, 3529, 3736, 3752, 3985/5037, 4136/4963,1801,1802,1805,1808 में छज्जू पुत्र भिक्कन 1/6 हिस्से का खातेदार,जमाबन्दी सम्बत 2064—2067 प्रदर्श पी—2 ए, खसरा नम्बर 3258,जमाबन्दी सम्बत 2064—2067 प्रदर्श—2बी का अवलोकन एवं वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गई:—

तनकी संख्या:—1, आया वादीगण विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने बाबा छज्जू पुत्र भिक्कन के नाम दर्ज पैत्रिक आराजी जो प्रदर्श—1,प्रदर्श—2, प्रदर्श—2ए, प्रदर्श 2बी पर है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त आराजी छज्जू पुत्र भिक्कन जो मृतक है उसके वारिसान के नाम आयेगी। वादीगण ने छज्जू की विरासत का कोई सजरा नहीं बताया है। लक्ष्मन और घनश्याम जो प्रतिवादी संख्या 2 व प्रति0 संख्या 3 है। उन्हें छज्जू का वारिस बताया है। प्रति0 संख्या 2 लक्ष्मन वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 का पिता है। पैत्रिक विरासत प्राप्त आराजी में वादिनीगण ने अपने पिता को प्राप्त होने वाली आराजी में अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। छज्जू का दिनांक 14.02.2016 को देहान्त हो चुका है। डीडब्ल्यू—1 घनश्याम ने अपने बयानों में छज्जू

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

के तीन वारिस लक्ष्मन,घनश्याम पुत्र व सरोज पुत्री बताये है। वाद में सरोज की पक्षकार नहीं बनाया है। प्रति0 संख्या 2 के पैत्रिक सम्पत्ति में कौन कौन वारिसान वादपत्र में सजरा वर्णित नहीं है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 सहदायिक सम्पत्ति में हित का न्यायगमन संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब में किसी में सहदायिक की पुत्री जन्म से वह अपने अधिकार उसी रीति में सहदायिक बनेगी उसके वही अधिकार होंगे वह उन्हीं दायित्वों के अधीन होगी जो पुत्र के होते है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 पुरूषों की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम उपलब्ध कराती है। निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरूष की सम्पत्ति किस प्रकार न्यायगत होगी। चन्द्रकांता बनाम अशोक कुमार 2002 (3) 576 म.प्र. बाबूलाल बनाम रामकली बाई 2012 म.प्र.वी गो. 58 म.प्र. न्यायिक द्रष्टांतों में हिन्दू पुरूष की सम्पत्ति उसके वारिसों को उसकी मृत्यु के उपरांत ही न्यायगत होगी। वादीगण का पिता अभी जीवित है। अधिनियम की धारा 8 काल्पनिक मृत्यु को महत्व नहीं देती है। परन्तु वास्तविक मृत्यु को संदर्भित करती है। AIR 1968 उडीसा 187, निर्वसीयत मृत होने पर ही धारा 8 प्रयोज्य है। काल्पनिक मृत्यु के आधार पर न्यायगमन सम्बन्धी उपबंध नहीं है। अपितु वास्तविक मृत्यु के आधार पर न्यायगमन सम्बन्धी उपबंध है। कैम्पविहाय बनाम गिरीगम्मा AIR 1966 मैसूर 189 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के प्रभाव यह हुआ है कि अब जन्म से अधिकार का सिद्वांत प्रभावी नहीं रह गया है। अपितु पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र की सम्पत्ति में अंश प्राप्त करने का अधिकार होगा। चन्द्रांता बनाम अशोक कुमार 2002(3)म.प्र. लांज 576 म.प्र. उच्च न्यायालय, अधिनियम धारा 8 में जो संदर्भित है वह हिन्दू पुरूष की वास्तविक मृत्यु है ना कि काल्पनिक मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 का अंतिम पुरूष धारक की काल्पनिक मृत्यु के संदर्भ में साथ प्रभावी होना हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के उद्वेश्य व महत्व को परास्त कर देगा।

वादीगण का पिता व पति जीवित रहते स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारिणी नहीं है। तनीक संख्या 1 विरूद्व वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–2, आया वादीगण विवादित आराजी बावत प्रति0 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी?

तनकी संख्या 1 विरूद्व वादीगण निर्णीत की जा चुकी है। वादीगण स्वत्व घोषणा सिद्व करने में असफल रही है। तनकी संख्या 2 भी विरूद्व वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–3, आया वादीगण ने राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीग को पक्षकार नहीं बनाया है। दावा खारिज योग्य है?

वादीगण ने आर.टी.एक्ट की धारा 88,89 व 188 के तहत दावा दायर किया है यह निश्चय करने के लिए कोई व्यक्ति आवश्यक पक्षकार है या नहीं सही मापदण्ड इस प्रकार है कि (1) उस कार्यवाही में अर्न्तविलित मामले के बारे में ऐसे पक्षकार के विरूद्व कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए अधिकार हो और (2) ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावपूर्ण डिक्री पारित करना संभव नहीं हो। ये दोनों

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

मापदण्ड पूरे होने आवश्यक है। खातेदारी अधिकार की घोषणा के लिए वाद में सहकाश्तकार को पक्षकार बनाये बिना डिक्री पारित नहीं की जा सकती। खातेदारी के हकों की घोषणा के दावे में राज्य एक आवश्यक पक्षकार है। भू–धारक तहसीलदार एक आवश्यक पक्षकार है। दावा चलने योग्य नहीं है। तनकी संख्या 3 भी विरूद्व वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या:–4, दादरसी?

उभय पक्षकार वाद खर्च अपना अपना स्वयं वहन करेंगे।

तनकी संख्या 1,2,3 विरूद्व वादीगण निर्णीत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हम वादीगण का दावा मैण्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:–

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner